

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़)

पीठासीन अधिकारी:—श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :— 42/18

1—श्री शाहाबुद्दीन वल्द श्री मजीर मोहम्मिनारा निवासी-गाण्डल, तहसील-गाण्डल  
—प्रार्थी

बनाम

1—श्री मन्जीराम शो. श्री घोसू लाल सारोत निवासी-गाण्डल, तहसील-गाण्डल  
—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आ दे श ::

दिनांक:—20-2-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाण्डल ..... पटवार हल्का गाण्डल ..... तहसील मांडल/करेड़ा में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं 1529/4 से 16 बिस्वा ..... कुल किता 01 रकबा ..... बीघा 16 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5.2.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उवात ..... पटवार हल्का उवात ..... तहसील मांडल/करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर उवात ..... कुल किता उवात रकबा उवात बीघा उवात बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गाण्डल ..... को 300/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:— तहसीलदार मांडल/करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा